न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्डपीठ न्यायालय रीवा जिला–रीवा (म0प्र0)

16

498
29.8.13

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

C.F. Rs 20/-

R-983-II/14

अधिवक्ता श्री नीलेश तिवारी
द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि. 29.8.13

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1. हीरामणि सिंह तनय राजाराम सिंह गोड़ उम्र–62 वर्ष पेशा खेती,
2. हीरालाल सिंह तनय राजाराम सिंह गोड़ उम्र–60 वर्ष पेशा खेती,
3. छोटेलाल सिंह तनय राजाराम सिंह गोड़ उम्र–58 वर्ष पेशा खेती,
4. ठाकुरदीन सिंह तनय जगत सिंह गोड़ उम्र–80 वर्ष पेशा खेती,

सभी निवासी ग्राम नारो, तहसील मझौली, जिला–सीधी (म0प्र0)

------निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रंगदेव सिंह तनय शोभनाथ सिंह गोड़ उम्र–50 वर्ष, पेशा नौकरी, (शिक्षक)
2. लालदेव सिंह तनय शोभनाथ सिंह गोड़ उम्र–58 वर्ष, पेशा नौकरी, (विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी) दोनो निवासी ग्राम नारो, तहसील मझौली, जिला–सीधी (म.प्र.)
3. मध्यप्रदेश शासन

--------गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय उप तहसील मड़वास, तहसील मझौली, जिला–सीधी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 46/ए–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2013 को अपास्त किये जाने हेतु

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

—2

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अ– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नारो तहसील

(16)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 983–दो/2014 जिला – सीधी

हीरामणि सिंह आदि विरूद्ध रंगदेव सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9 –8–18	आवेदक अभिभाषक श्री नितिन तिवारी एवं अनावेदक अभिभाषक श्री के0डी0सिंह उपस्थित। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार मड़वास तहसील मझौली जिला सीधी के समक्ष ग्राम नीरा की आराजी नम्बर 773/2 रकवा 1.240 हे0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 46/अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30–6–2013 से सीमांकन आदेश पारित किया। तहसीलदार के इसी इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरान म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना जारी की गई है। सूचना पत्र में सीमांकित भूमि के चारो दिशाओं के सरहदी कास्तकारों को सूचना दी जाकर उनके हस्ताक्षर अंकित है। फील्ड बुक तथा पंचनामा भी तैयार किया गया है। राजस्व निरीक्षक द्वारा	

विधिवत प्रकिया अपना कर सीमांकन किया। सीमांकन में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने से तहसीलदार ने अपने आदेश से पुष्टि की है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से निगरस्त की जाती है। तहसीलदार का सीमांकन आदेश दिनांक 30–6–2013 यथावत रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

9/8/18

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य